

प्रेषक,

लीना जौहरी,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, पीलीभीत, बादा, कन्नौज, गीरजापुर,  
इलाहाबाद, सहारनपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सोनभद्र, उन्नाव, आगरा, कानपुर  
नगर, अमेठी, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, औरैया,  
मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद, कानपुर देहात,  
बरेली, शाहजहाँपुर एवं मथुरा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक ०7 अप्रैल, 2015

विषय: फरवरी/मार्च, 2015 में प्रदेश में हुई वर्षा एवं कृषि स्थानों पर हुई  
वक़ात/ओलावृष्टि के फलस्वरूप किसानों की फसलों को हुई क्षतिपूर्ति हेतु  
कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से  
धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष  
2014-15 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन फसलों को हुई  
क्षति के सापेक्ष भारत सरकार के मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किये  
जाने के लिये कुल धनराशि ₹0 3,01,41,89,000/- (रुपये तीन अरब एक करोड़  
इकतालीस लाख नवासी हजार मात्र) आपके निर्वहन पर रखने की श्री राज्यपाल  
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र०सं० | जनपद का नाम | प्रस्तावित धनराशि (लाख में) |
|---------|-------------|-----------------------------|
| 1       | महोबा       | 2500.00                     |
| 2       | हमीरपुर     | 1300.00                     |
| 3       | चित्रकूट    | 132.97                      |
| 4       | जालौन       | 2400.00                     |
| 5       | पीलीभीत     | 273.51                      |
| 6       | बादा        | 2500.00                     |
| 7       | कन्नौज      | 535.10                      |
| 8       | गीरजापुर    | 27.88                       |
| 9       | इलाहाबाद    | 28.94                       |
| 10      | सहारनपुर    | 269.17                      |

|    |              |          |
|----|--------------|----------|
| 11 | बदायूँ       | 583.10   |
| 12 | आजमगढ़       | 0.01     |
| 13 | सोनभद्र      | 23.11    |
| 14 | उन्नाव       | 1235.67  |
| 15 | आगरा         | 509.45   |
| 16 | कानपुर नगर   | 1400.00  |
| 17 | अमेठी        | 45.82    |
| 18 | इटावा        | 1157.79  |
| 19 | फतेहपुर      | 805.40   |
| 20 | फिरोजाबाद    | 84.91    |
| 21 | झाँसी        | 4000.00  |
| 22 | ललितपुर      | 592.80   |
| 23 | औरैया        | 383.66   |
| 24 | मुजफ्फरनगर   | 527.03   |
| 25 | लखीमपुर खीरी | 0.95     |
| 26 | प्रतापगढ़    | 222.97   |
| 27 | फैजाबाद      | 81.72    |
| 28 | मुरादाबाद    | 29.27    |
| 29 | कानपुर देहात | 2437.50  |
| 30 | बरेली        | 1517.95  |
| 31 | शाहजहाँपुर   | 1535.21  |
| 32 | मथुरा        | 3000.00  |
|    | योग          | 30141.89 |

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत आयोजनोत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेत्तर यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं- अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बाढ़ल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

- 4- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-10-2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1 दिनांक 16-01-2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहाँ राहत प्रदान करने के लिए मानक निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-18/1-10-2012, दिनांक 25-10-2012 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या-32-3/2013-एनडीएम-1 दिनांक 28-09-2012 के माध्यम से एस0डी0आर0एफ0/ एन0डी0आर0एफ0 से नोटिफाइड दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करते हुये पुनरीक्षित नामों की सूचना उपलब्ध करायी गई है, का अनुपालन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- 5- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24-09-2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रु0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रु0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाये।
- 6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- 7- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।
- 8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश

संख्या-यू0310-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

10- उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

11- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्तों में पुरतांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

मेवदीया,  
30/4/15  
(लीना जीहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :- 219 (1)/1-10-2015, तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
  - 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
  - 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
  - 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
  - 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
  - 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
  - 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
  - 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
  - 9- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
  - 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
30/4/15  
(मदन मोहन)  
अनु सचिव।

# **Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक:-07/04/2015

प्रेषण संख्या:-  
आवंटन आदेश संख्या:-  
अनुदान संख्या:-  
लेखाशीर्षक:-

2  
002-1-10-2015  
51 राजस्व विभाग (द्वितीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)  
2245 - प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत(आयोजन/नगरपालिका)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
03 - स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                 | वर्तमान प्रगामी | 42-अन्य व्यय           | योग                    |
|-------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1     | सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--    | वर्तमान प्रगामी | 26917000<br>29417000   | 26917000<br>29417000   |
| 2     | मुजफ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 52703000<br>55203000   | 52703000<br>55203000   |
| 3     | मथुरा-4217-जिलाधिकारी, --01--       | वर्तमान प्रगामी | 300000000<br>302500000 | 300000000<br>302500000 |
| 4     | आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--        | वर्तमान प्रगामी | 50945000<br>53445000   | 50945000<br>53445000   |
| 5     | बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--       | वर्तमान प्रगामी | 151795000<br>154295000 | 151795000<br>154295000 |
| 6     | बदायूं-4217-जिलाधिकारी, --01--      | वर्तमान प्रगामी | 58310000<br>60810000   | 58310000<br>60810000   |
| 7     | मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--   | वर्तमान प्रगामी | 2927000<br>5427000     | 2927000<br>5427000     |
| 8     | शाहजहाँपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--  | वर्तमान प्रगामी | 153521000<br>156021000 | 153521000<br>156021000 |
| 9     | पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान प्रगामी | 27351000<br>29851000   | 27351000<br>29851000   |
| 10    | इटावा-4217-जिलाधिकारी, --01--       | वर्तमान प्रगामी | 115779000<br>118279000 | 115779000<br>118279000 |
| 11    | कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--  | वर्तमान प्रगामी | 140000000<br>142500000 | 140000000<br>142500000 |
| 12    | फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान प्रगामी | 80540000<br>83040000   | 80540000<br>83040000   |
| 13    | इलाहाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--    | वर्तमान प्रगामी | 2894000<br>5394000     | 2894000<br>5394000     |
| 14    | झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--       | वर्तमान प्रगामी | 400000000<br>402500000 | 400000000<br>402500000 |
| 15    | जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--       | वर्तमान प्रगामी | 240000000<br>242500000 | 240000000<br>242500000 |
| 16    | हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान प्रगामी | 130000000<br>132500000 | 130000000<br>132500000 |
| 17    | बाँदा -4217-जिलाधिकारी, --01--      | वर्तमान प्रगामी | 250000000<br>252500000 | 250000000<br>252500000 |
| 18    | मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--   | वर्तमान प्रगामी | 2788000<br>5288000     | 2788000<br>5288000     |
| 19    | आज़मगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान प्रगामी | 1000<br>2501000        | 1000<br>2501000        |

(सिद्धार्थ)  
वरिष्ठ विज्ञ एव लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त संगठन  
उ०प्र० शासन

|    |                                       | प्रगामी            |                          |                          |
|----|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20 | उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 123567000<br>126067000   | 123567000<br>126067000   |
| 21 | लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 95000<br>2595000         | 95000<br>2595000         |
| 22 | फैजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 8172000<br>10672000      | 8172000<br>10672000      |
| 23 | प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--    | वर्तमान<br>प्रगामी | 22297000<br>24797000     | 22297000<br>24797000     |
| 24 | सलिलपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 59280000<br>61780000     | 59280000<br>61780000     |
| 25 | कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 243750000<br>246250000   | 243750000<br>246250000   |
| 26 | फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--    | वर्तमान<br>प्रगामी | 8491000<br>10991000      | 8491000<br>10991000      |
| 27 | सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 2311000<br>4811000       | 2311000<br>4811000       |
| 28 | महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--        | वर्तमान<br>प्रगामी | 250000000<br>252500000   | 250000000<br>252500000   |
| 29 | औरंगा-4217-जिलाधिकारी , --01--        | वर्तमान<br>प्रगामी | 38366000<br>40866000     | 38366000<br>40866000     |
| 30 | कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 53510000<br>56010000     | 53510000<br>56010000     |
| 31 | छिन्नकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 13297000<br>15797000     | 13297000<br>15797000     |
| 32 | अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--        | वर्तमान<br>प्रगामी | 4582000<br>7082000       | 4582000<br>7082000       |
|    | योग                                   | वर्तमान<br>प्रगामी | 3014189000<br>3094189000 | 3014189000<br>3094189000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रुपया तीन अरब एक करोड़ इकतालीस लाख नव्वी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया तीन अरब नौ करोड़ इकतालीस लाख नव्वी हजार

  
 (निवेदन)  
 जिलाधिकारी  
 पंचायत विभाग एवं लेखाधिकारी  
 सहित आयुक्त संगठन  
 उन्नाव शारन